

# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

सूचना का अधिकार अपील 07/2024

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-

1. यशपाल सिंह राठोड़ पुत्र श्री देवीसिंह राठोड़ निवासी मोकलसर, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा

1. उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश

दिनांक 01.05.2024

अपीलार्थी यशपाल सिंह राठोड़ पुत्र श्री देवीसिंह राठोड़ निवासी मोकलसर, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 15.04.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सिवाना को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

रेस्पोंडेंट द्वारा सुनवाई तिथि को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना के पत्राक आरटीआई/2024/248 दिनांक 15.02.2024 द्वारा निर्धारित समयावधि में जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की गई, जिसका ट्रेक नंबर RR386984568IN पत्र के संलग्न है। अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार कर प्रकरण खारिज की जाए। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांत को वांछित सूचना अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के पत्राक आरटीआई/2024/248 दिनांक 15.02.2024 द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करवा दी गई है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 01.05.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।



(सुशील कुमार यादव)  
प्रथम अपील प्राधिकारी  
जिला कलक्टर  
बालोतरा